प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 79/12–13
राम अयोध्या यादव वनाम् रपित यादव एवं अन्य
आदेश

आवेदक श्री राम अयोध्या यादव पिता स्व०लखन यादव निवासी ग्राम राम नगर थाना करपी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदक का हक व अधिकार धोषित करते हुए कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा रामनगर थाना करपी अंचल करपी जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
263	1376/6660	3.50 कट्टा	उ० रामशरण सिंह द० रामाधार सिंह पू० नरसिंह प० लक्षण सिंह
	1446	5 कट्टा	उ० चंद्रिका सिंह द० वासुदेव सिंह पू० लक्षण सिंह प० चंद्रिका सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई और विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :--

(1) विवादित जमीन आवेदक की खतियानी जमीन है जो उनके दादा चरितर यादव के नाम से थी और कुल रकवा 6 बीधा था।

(2) स्व० चरितर यादव की दो शादियॉ थी जिसमें पहली पत्नी से दो पुत्र स्व० लखन यादव वो स्व० राधे यादव हुए। आवेदक स्व० लखन यादव के पुत्र है और स्व० राधे यादव निःसंतान थे।

(3) स्व० चरितर यादव के दूसरी पत्नी से दो पुत्र सुरेश यादव वो रपित यादव उर्फ दीपनारायण यादव हुए।

(4) स्व० चरितर यादव अपने जीवनकाल में ही 6 बीधा भूमि को दिनांक 2.06.69 को पंचनामा द्वारा सिड्यूल बनाकर बॉट दिये थे।

(5) बॅटवारा में स्व० चरितर यादव के बड़ा पुत्र स्व० लखन यादव को मात्र दो बीधा भूमि दिया गया। शेष 4 बीधा भूमि अपने पास रखकर जीवनयापन करने लगे।

(6) स्व० लखन यादव को जब पैसा की जरूरत हुई तो प्रश्नगत भूमि को रेहन भी तीन साल के लिए रामशकल शर्मा पिता जानकी शर्मा साकिन अइयारा टोला रामनगर के हाथों रखे हुए थे जिसे पुनः वादी वापस लेकर जोत कोड कर रहा है।

(7) स्व० चरितर यादव अपने 4 बीधा भूमि में 1 बीधा भूमि का बिक्री कर चुके है और शेष 3 बीधा भूमि अभी उनके पास है।

(8) प्रश्नगत भूमि पर वादी इस समय धान का फसल लगाया हुआ है लेकिन प्रतिवादी लगे फसल को उखाड फेकने का कार्य बेवजह किया करते रहते है जिस कारण यह वाद लाया गया है।

(9) प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द०प्र०सं०भी चला था जिसका आदेश आवेदक के पक्ष में हुआ

था।

(10) प्रतिवादीगण वादी के प्राप्त हक हिस्सा को कुत्सित ढंग से प्रश्नगत भूमि को हड़पना चाहते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा धोषित करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

(1) विवादित जमीन रामनगर मौजा की नही है,वास्तव में रामनगर कोई मौजा है ही नहीं।

(2) स्व०चरितर यादव को मात्र 6 बीधा जमीन थी जिसमें से उनके द्वारा एक बीधा जमीन बिक्री कर दिया गया था। इस प्रकार शेष पॉच बीधा जमीन में प्रथम पक्ष को मात्र एक बीधा 13.50 कट्टा जमीन होना चाहिए था परन्तु वे दो बीधा नाजायज हिस्सा लेने के बाद जमीन खोज रहे है। इस तरह प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया उक्त वाद त्रुटिपूर्ण एवं अवांछित है,अतः खारिज होने योग्य है।

(3) प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में दफा 144 द०प्र०सं० की कार्यवाही हुई थी जिसका वाद सं०193/11 रामजी यादव वनाम् राम अयोध्या यादव जिसमें रामजी यादव, श्रीमान् के न्यायालय में उतरवादी है के पक्ष में आदेश पारित हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेद्रक ने विवादित जमीन पर अपना हक एवं अधिकार धोषित करते हुए कब्जा दिलाने हेतु वाद लाया है। परन्तु आवेदक द्वारा न्यायालय में कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक को विवादित जमीन कैसे प्राप्त हुआ है। दिनांक 12.06.69 की एक पंचनामा की छाया प्रति दाखिल है परन्तु इसमें कोई खाता,खेसरा अंकित नहीं है। साथ ही उक्त पंचनामा के अंत में सिर्फ लखन यादव का दस्तखत है,चरितर यादव का दस्तखत नहीं हैं। इससे भी स्पष्ट नही होता है कि चरितर यादव को उक्त पंचनामा स्वीकृत था कि नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा मॉगा गया अनुतोष पोषणीय नहीं है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

27.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

27.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।